राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :–एफ.28( )पंराजि / प्रशा–2 / ग्राविअ / परिपत्र / 2018 / 2210 जयपुर,दिनांक:– 17-5-201

– परिपत्र :–

विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को आवंटित ग्राम पंचायत का चार्ज विकास अधिकारियों द्वारा बार–बार बदलते हुए पंचायत प्रसार अधिकारी / कनिष्ठ सहायक एवं पंचायत सहायक को सौंप दिया जाता है, जिससे विकास योजनाओं का सुचारू संचालन बाधित होता है एवं बार–बार चार्ज बदलने से कार्मिक में असंतोष उत्पन्न होता है । पूर्व में भी विभाग आदेश क्रमांक 3227 दिनांक 04.08.2017 जारी किया जाकर निर्देशित किया गया था कि किसी पंचायत प्रसार अधिकारी को ग्राम सेवक के रिक्त पद का चार्ज नहीं दिया जावे परन्तु उक्त आदेश की पूर्ण रूप से पालना नहीं हो रही है ।

ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का चार्ज सौंपे जाने के संबध मे विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1939 दिनांक 24.06.2014 जिसके द्वारा ग्राम सेवक का पद रिक्त होने पर अथवा ग्राम सेवक के किसी कारण से लम्बे अवकाश पर जाने की स्थिति में नियमित व्यवस्था होने तक ग्राम सेवक का कार्यभार उस पंचायत मे कार्यरत कनिष्ट लिपिक को दिया जा सकेगा, को प्रत्याहरित किया जाता है ।

अतः ग्राम विकास अधिकारियों को आवंटित ग्राम पंचायत का चार्ज किसी अन्य कार्मिक / अधिकारी को सौंपे जाने संबंधी पूर्व में जारी सभी आदेशों को प्रत्याहरित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज सिर्फ निकटतम ग्राम पंचायत के दूसरे ग्राम विकास अधिकारी को ही सौंपा जावे । वर्तमान में यदि ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज अन्य किसी कार्मिक को सौंपा हुआ है तो उसे तत्काल निकटतम ग्राम विकास अधिकारी को सौंपा जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे । निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

(कुंजीलाल मीणा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1–विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2–विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4–निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5–समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ।
6–समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां ।
7–ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव